

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(7)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक : यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.2021 एवं 24.06.2024 द्वारा खाटूश्यामजी के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये खाटूश्यामजी मास्टर प्लान-2041 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त खाटूश्यामजी मास्टर प्लान-2041 की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, खाटूश्यामजी में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2041 नगरीय विकास विभाग की website: <https://udhrajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सीकर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खाटूश्यामजी (जिला-सीकर)।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम